मो0 सोहैल,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 11.052013 को हुलासगंज अंचल का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :–

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंचल कार्यालय, हुलासगंज का निरीक्षण निम्न बिन्दुओं पर करते हुए आवश्यक निदेश अंचलाधिकारी, हुलासगंज को दिया गया :–

1. **स्थापना** :– अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 4 राजस्व कर्मचारी, 4 लिपिक, 1 अमीन एवं 4 उजरत अमीन हैं। अंचल निरीक्षक का पद रिक्त है। अपर समाहर्ता, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि अंचल निरीक्षक के पदस्थापन हेतु विभाग को पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अपर समाहर्ता, जहानाबाद)

2. **प्रधान सहायक** :– अंचलाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय में प्रधान सहायक नहीं हैं। प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक के द्वारा ही अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक का कार्य देखा जाता है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सहायक में जो वरीय हैं, उन्हें प्रधान सहायक का प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, हुलासगंज)

3. **सेवापुस्त** :– अंचल कार्यालय के कर्मियों का सेवापुस्त अद्यतन नहीं है, छुट्टी तालिका भरा नहीं गया है। उदाहरण के तौर पर श्री सुरेश चौधरी, अनुसेवक के सेवा पुस्त के प्रारंभीक पेज पर न तो कर्मी के अगुँठा का निशान है और न ही कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर है। इसी प्रकार श्री सुरजीत कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी के भी सेवापुस्त में न तो प्रारंभिक पेज पर कर्मी के अगुँठा का निशान है और नही कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर है। श्री बद्री नारायण सिंह, राजस्व कर्मचारी के प्रारंभिक पेज पर कर्मी के अगुँठे का निशान नहीं है और न ही कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी कर्मियों के सेवापुस्त को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, हुलासगंज)

4. **कैस बुक** :– कैस बुक दिनांक 05.05.2013 तक संधारित है। कैस बुक के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अग्रिम एवं अभिश्रव की राशि शून्य है। अंचल कार्यालय, हुलासगंज में दो बैंक खाता संधारित है, जिसका लेखा संख्या क्रमशः 72030100122486 एवं 72031700123705 है। पास बुक में क्रमशः 86,506.00 एवं 1,18,075.00 रूपया दर्शाया गया है। इससे संबंधित चेक पंजी के अवलोकन से विदित होता है कि चेक पंजी में सुद से प्राप्त राशि की प्रविष्टी नहीं की गई है। जबकि उसकी प्रविष्टी संबंधित चेक पंजी में किया जाना चाहिए था ताकि बाद में वित्तीय विसंगती न हो। अंचलाधिकारी, हुलासगंज को निदेश दिया गया कि तदनुसार चेक पंजी को संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचल नाजीर)

5. **कर्मपुस्तिका** : – मधुकर प्रसाद सिंह, लिपिक को छोड़कर शेष अन्य कर्मी यथा दीपक कुमार, संजय कुमार एवं सुदर्शन पासवान का कर्मपुस्तिका अद्यतन नहीं है एवं विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि साप्ताहिक बैठक में कर्मपुस्तिकाओं का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, हुलासगंज)

6. **भविष्यनिधि कटौती** :– अंचलाधिकारी, हुलासगंज के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 के भविष्यनिधि कटौती कर जिला भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

7. **बंदोबस्ती पंजी** :– जमीन आम खाते की है या गैर–मजरूआ खाते की, स्पष्ट नहीं है, इसे अंचलाधिकारी, हुलासगंज को स्पष्ट रूप से उललेख करना चाहिए था। बंदोबस्ती स्वीकृत है या नहीं इसे भी अंकित नहीं किया गया है। प्रत्येक लाभान्वितों के सामने अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर